

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:- ई-33/लै.टै../(एफ-1602)/2024/240

दिनांक : 27/05/2024

आदेश

वित्त विभाग के मेमोरडम क्रमांक एफ.1(2) वित्त/नियम/2006-प्रथम दिनांक 8.8.2019, 25.10.2019 एवं 06.01.2020 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये निम्नांकित कार्मिक (परिविक्षाधीन) को स्वयं की प्रार्थना पर उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार अवधि का असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी मय पद	पदस्थापन स्थान	अवकाश का कारण	असाधारण अवकाश अवधि
1	देवेन्द्र सिंह, प्रयोगशाला सहायक	राजीव गांधी राज0 चिकित्सालय, अलवर।	स्वयं की बिमारी के कारण	दिनांक 31.03.2024 से 19.04.2024 तक 20 दिवस

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर

क्रमांक:- ई-33/लै.टै../(एफ-1602)/2024/240

दिनांक : 27/05/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, अलवर।
2. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
3. श्री देवेन्द्र सिंह प्रयोगशाला सहायक (परविक्षाधीन) कार्मिक को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर

RajKaj Ref
7312447

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation : Director
Date : 23-05-2024 03:40:32